न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 185/2019 **दायर दिनांकः 12/12/2019**

उनवान

1. खेमराज उर्फ छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्ना जाति बंजारा निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. कन्हैयालाल उर्फ विमल कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र मोहन जाति बंजारा निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
बाबत् नाम दुरस्ती घोषणा

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 08/02/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 327 का ख0न0 354 का रकबा 0.26 है०, ख0न० 356 का रकबा 0.23 है0, ख0न0 370 का रकबा 0.02 है0, ख0न0 376 का रकबा 0.11 है०, ख0न0 377 का रकबा 0.16 है0, कुल किता 5 का रकबा 0.78 है0, व खाता सं. 676 का ख नं0 365 का रकबा 0.77 है0 में वादीगण व खाता सं. 326 का ख0न0 358 का रकबा 0.12 है0, में वादी क्रम 1 खेमराज का गलत नाम छोटूलाल दर्ज है। व खाता संख्या 564 का ख0नं0 1321 का रकबा 0.47 है0 में वादी क्रम 2 कन्हैयालाल का नाम विमल कुमार गलत दर्ज हो रहा है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 327 , खाता संख्या 676 व खाता संख्या 326 व खाता संख्या 564 वाद पत्र के साथ में संलग्न है। जो काबिले गौर है। दौराने सेटलमेन्ट आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादीगण को घर पर छोटूलाल व विमल कुमार के नाम से पुकारने के कारण सेटलमेन्ट कर्मचारीगण नें वादीगण का नाम खाते में गलती से खेमराज के स्थान पर छोटूलाल व कन्हैयालाल के स्थान पर विमल कुमार दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का सही नाम खेमराज, कन्हैयालाल है। वादी क्रम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:52:19 IST
Reason: SelfAttested

1 खेमराज के पहचान प्रमाण पत्र , आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, व वादी क्रम 2 कन्हैयालाल के पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स में भी वादीगण का सही नाम खेमराज व कन्हैयालाल दर्ज है।

बिना सहायता न्यायालय वादीगण का नाम छोटूलाल के स्थान पर खेमराज व विमल कुमार के स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादीगण को अपने स्वामित्व की आराजी पर के०सी०सी० ऋण व सरकारी सहायता आदि प्राप्त करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पडेगा। इसलिए वादीगण का वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण का नाम छोटूलाल के स्थान पर खेमराज व विमल कुमार के स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें । इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट कर्मचारीगण द्वारा वादीगण का गलत नाम दर्ज कर देने पर तथा अंतिम बार दिनांक 20.11.2019 को श्रीमान को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्न्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः–

(अ) वादीगण का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम कवाई की खाता संख्या 327 के कुल किता 5 का रकबा 0.78 है0, व खाता संख्या 676 का ख0न0 365 का रकबा 0.77 है0 में वादीगण व खाता संख्या 326 का ख0नं0 358 का रकबा 0.12 है0 में वादी क्रम 1 खेमराज का गलत नाम छोटूलाल दर्ज है व खाता संख्या 564 का ख0नं0 1321 का रकबा 0.47 है0 में वादी क्रम 2 कन्हैयालाल का नाम विमल कुमार गलत दर्ज हो रहा है। उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण का नाम छोटूलाल के स्थान पर खेमराज व विमल कुमार के स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:52:19 IST
Reason: SelfAttested

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझ वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रकरण में उनवान खेमराज उर्फ छोटूलाल, कन्हैयालाल उर्फ विमलकुमार जाति बंजारा के मोका स्थिति का नाम सत्यापन करने हेतु ग्राम कवाई के वार्ड 14 में पहॅुया। जिसकी रिपोर्ट पेश है।

ग्राम कवाई की आराजी ख.नं. 327,354,356,370,376,377, किता 5 रकबा 0.78 है0 व ख.नं. 676,365,326,358 है0 में खेमराज पुत्र धन्ना जाति बंजारा दर्ज है। ग्राम कवाई की आराजी ख. नं. 1321 रकबा 0.47 है0 भूमि में विमल कुमार पुत्र मोहन जाति बंजारा दर्ज है। ग्राम वासियों के अनुसार छोटूलाल पुत्र धन्ना जाति बंजारा का सही नाम खेमराज है जो सही है प्रार्थी को दोनों नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रार्थी का डॉक्यूमेन्ट्स कागजातों में खेमराज नाम दर्ज है। ग्राम वासियों के अनुसार ग्राम कवाई ख.नं. 1321 रकबा 0.47 है0 में विमल कुमार पुत्र मोहन जाति बंजारा दर्ज है। जिसमें प्रार्थी खातेदार के कागजात राशन कार्ड में नाम कन्हैंयालाल के नाम से बने हुए है। ग्राम वासियों के अनुसार छोटूलाल का सही नाम खेमराज है। व विमल कुमार का नाम कन्हैयालाल है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के मौका पर्चा पर हस्ताक्षर लिए गये।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_4 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम कवाई की खाता संख्या 327 किता 5 रकबा 0.78 है0 व खाता सं. 326 किता 1 रकबा 0.12 है0 व खाता संख्या 676 रकबा 3.65 है0 भूमि में वादी क्रम 1 खेमराज का गलत नाम छोटूलाल दर्ज है। व खाता सं. 564 किता 1 रकबा 0.47 है0 में वादी क्रम 2 में कन्हैयालाल का नाम विमल कुमार गलत दर्ज हो रहा है। वादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र में पंचायत का पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक [illegible] बुक, परिवार राशन कार्ड, व वादी क्रम 2 कन्हैयालाल के पहचान प्रमाण पत्र, [illegible] बुक, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में वादी क्रम 1 [illegible] दर्ज है तथा वादी क्रम 2 का नाम कन्हैयालाल दर्ज है। रिकॉर्ड व साक्ष्य के आधार पर न्यायहित मे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:52:19 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 327 किता 5 रकबा 0.78 है0 व खाता सं. 326 किता 1 रकबा 0.12 है0 व खाता संख्या 676 रकबा 3.65 है0 भूमि में छोटूलाल के स्थान पर खेमराज उर्फ छोटूलाल व खाता सं. 564 किता 1 रकबा 0.47 है0 में विमल कुमार के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ विमल कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:52:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 185/2019

उनवान

1. खेमराज उर्फ छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्ना जाति बंजारा निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. कन्हैयालाल उर्फ विमल कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र मोहन जाति बंजारा निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
बाबत् नाम दुरस्ती घोषणा

उपस्थिति :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 327 किता 5 रकबा 0.78 है0 व खाता सं. 326 किता 1 रकबा 0.12 है0 व खाता संख्या 676 रकबा 3.65 है0 भूमि में छोटूलाल के स्थान पर खेमराज उर्फ छोटूलाल व खाता सं. 564 किता 1 रकबा 0.47 है0 में विमल कुमार के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ विमल कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 08/02/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:52:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)